न्यायालयः – तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग – 1, बैतूल (पीठासीन अधिकारी – गौतम सिंह मरकाम)

व्यवहार वाद क0:-59ए/2018 संस्थित दिनांक:-22-02-18

1. रविन्द्र पिता श्री फूलचंद, उम्र-32 वर्ष, जाति-मेहरा

 अशोक पिता श्री फूलचंद, उम्र–30 वर्ष, जाति–मेहरा दोनों निवासी–ग्राम–बगडोना,तह0 घोडाडोंगरी, जिला–बैतूल

....आवेदक

// बनाम //

- 1. मीरा पत्नि स्व० श्री फूलचंद, उम्र-50 वर्ष, जाति-मेहरा,
- 2. सुनील पिता स्व0 श्री फूलचंद, उम—28 वर्ष, जाति—मेहरा, दोनों निवासी—मेन रोड़ बगडोना, लक्ष्मी टी.वी.एस. शोरूम के बाजू में बगडोना, तह0 घोडाडोंगरी, जिला—बैतूल।
- सुरेश घोरसे पिता श्री फूलचंद, उम्र–42 वर्ष, जाति–मेहरा, निवासी–ग्राम–केरिया, पोस्ट–सीताकामथ, तह0–घोडाडोंगरी, जिला–बैत्रल।
- सुनीता जौंजे श्री मोहन चौहान, पुत्री-फूलचंद, उम्र-27 वर्ष, निवासी-दमुआ, तह० व जिला-छिंदवाडा, म०प्र०।
- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर बैतूल, जिला–बैतुल।

. अनावेदकगण

/ / <u>आदेश</u> / / (<u>आज दिनांक 15—05—2018 को पारित</u>)

- **01** इस आदेश द्वारा वादीगण/आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य.प्र.सं. आई.ए.नं. 1 का निराकरण किया जा रहा है।
- 02— प्रकरण में वादीगण के पिता फूलचंद की दो पत्नियां गुलबिया बाई एवं मीरा होना, गुलबिया बाई की मृत्यु के पश्चात फूलचंद द्वारा विधिवत् प्रति0क0 1 मीरा से विवाह किया जाना,

फूलचंद एवं गुलबिया के तीन पुत्र रविन्द्र, अशोक एवं सुरेश तथा पुत्री सुनीता तथा फूलचंद एवं मीरा का एक पुत्र वादी क0 2 सुनील होना, फूलचंद का एम0पी0ई0बी0 में सुरपवाईजर के पद से 2009 से सेवानिवृत होना, जिनका वेतन 40,000 / -रूपये प्रतिमाह होना, फूलचंद द्वारा ख0नं0 52 / 10 रकबा 0.010 हे0 मौजा-बगडोना की भूमि पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 13.02.04 से क्य किया गया जाना, जिस पर एक दुकान एवं मकान निर्मित हुआ व बगडोना में कॉलेज गेट के पास 12 गुणित 60 वर्गफीट का मकान निर्मित होना तथा उक्त खसरा नंबर की भूमि को आगे विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जाना, मीराबाई को पेंशन प्राप्त होना, तहसीलदार घोडाडोंगरी के समक्ष नामांतरण आवेदन प्रस्तुत किया जाना, तहसीलदार द्वारा रविन्द्र एवं अशोक के पक्ष में नामांतरण आदेश किया जाना एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं कमिश्नर होशंगाबाद द्वारा अपील निरस्त किया जाना स्वीकृत तथ्य है। आवेदन स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर संक्षेप मे है कि वादीगण ने घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के बाद में इस आशय का अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया कि वादीगण ग्राम-बगडोना, तह0 घोडाडोंगरी के स्थायी निवासी है। वादीगण फूलचंद के पुत्र है तथा प्रति०क० 1 वादीगण की सौतेली माता है। फूलचंद की दो पत्नियां गुलबिया एवं मीस है। गुलबिया बाई की मृत्यु 29.09.84 को हो गयी, जिससे तीन पुत्र वादीगण रविन्द्र, अशोक एवं सुरेश तथा एक पुत्री सुनीता है और मीरा से वादी क0 2 सुनील है। वादीगण के पिता फूलचंद एम0पी0ई0बी0 में शासकीय सेवा के पद पर थे, जिन्हें 40,000 / –रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता था, जिससे उन्होंने वादग्रस्त भूमि ख0नं0 52 / 10 रकबा 0.010 हे0 भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की थी जिसे वादीगण के पिता ने वसीयतनामा दिनांक 24.01.12 के माध्यम से वादीगण के पक्ष में निष्पादित कर दी थी। प्रकरण मे उक्त भूमि ही विवादित है। वादीगण ने उक्त पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर तहसील न्यायालय घोडाडोंगरी के समक्ष नामांतरण हेतु कार्यवाही की थी, जिस पर तहसीलदार घोडाडोगरी ने वसीयत को प्रमाणित मानते हुये वादीगण का नाम नामांतरण करने के आदेश दिये थे किंत् प्रति०क० 1 व 2 द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर के समक्ष अपील की थी जहां पर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश को

निरस्त कर दिया था, जिसकी अपील वादीगण ने न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की,जिसमें अपील स्वीकार ना कर निरस्त कर दिया गया था, जिस कारण वादीगण वादग्रस्त भूमि पर वसीयत के आधार पर स्वत्व प्राप्त करने हेतु उक्त मामला प्रस्तुत किये है। वादीगण ने उक्त वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु तहसीलदार न्यायालय घोडाडोंगरी बैतूल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया तहसीलदार घोडाडोंगरी ने नामांतरण के आदेश पारित किये थे, जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया है और वे वादग्रस्त भूमि में काबिज है। प्रति0क0 1,2 एवं 4 अनैतिक तरीके से शीघ्रता करते हुये प्रस्तुत दीवानी दावे के निराकरण के पूर्व ही उक्त भूमि पर अपना नाम दर्ज कराने हेतु प्रयासरत् है। वादीगण के पक्ष में पिता फूलचंद द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया है, जिससे वादीगण को सफल होने की पूर्ण संभावना है। यदि प्रति०क० 1,2 एवं 4 द्वारा वादग्रस्त भूमि के राजस्वे अभिलेखों में नामांतरण अथवा रिकार्ड में हेर-फेर किया जाता है तो बहुवाद की स्थिति निर्मित होगी। प्रकरण में सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष है तथा प्रथम दृष्टया वाद वादीगण अथवा आवेदक के पक्ष में है इस कारण वादग्रस्त भूमें की भूमि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में कोई फेर बदल नामांतरण, हस्तांतरण अथवा अंतरण ना करे।

04— प्रति०क० 3 ने आवेदन पत्र की कंडिका क० 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12 एवं 14 को स्वीकार कर शेष कंडिकाओं के संबंध में जवाब नहीं देने की आवश्यकता होना लेख किया है।

प्रति०क० 1,2,4 ने आवेदन पत्र के स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर शेष तथ्यों से इंकार कर बतलाया कि रिवन्द्र ग्राम—केरिया तह० घोडाडोंगरी में रहता है तथा वादी क० 2 अशोक कॉलेज चौक बगडोना स्थित मकान में रहता है। यह मकान एवं भूमि अशोक, रिवन्द्र, सुरेश एवं सुनील की है, जो वर्ष 2012 में रिजस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय की गयी है। प्रति०क० 2 और 4 फूलचंद की पुत्री है, जो उसकी वैधानिक वारिस है। ग्राम—केरिया में फूलचंद के स्वामित्व एवं आधिपत्य के संबंध में वादपत्र में कोई ख०नं० या रकबा या चतुरसीमा अभवचिनत नहीं है तथा ग्राम—केरिया में ख०नं० 5/1 में से रकबा 1.118 हे० भूमि रिजस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से मीरा जौजे फूलचंद मेहरा द्वारा दिनांक 30.03.87 को कय की गयी है, जिससे विकेता मीरा उक्त भूमि की स्वामित्व एवं

आधिपत्यधारी है। फूलचंद द्वारा अपने जीवनकाल में बंटवारा नहीं किया था। फूलचंद की खानदानी या स्वअर्जित संपत्ति का आज तक कोई वैधानिक बंटवारा उनके समस्त वारसानों के मध्य निष्पादित नहीं हुआ है। ग्राम-जांगडा में स्व0 फूलचंद द्वारा स्वयं की आय से प्रति0क0 3 सुरेश के नाम एक एकड भूमि क्य की गयी थी जो खानदानी संपत्ति है। वादीगण द्वारा जानबूझकर प्रति०क० 3 से दुरिभ संधि कर इस संबंध में अभिवचन नहीं किये हैं। स्व0 फूलचंद द्वारा वादीगण के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गयी है। स्व0. फूलचंद को वर्ष 2005 में लकवे का पहला अटैक आया था, जिससे उनके शरीर का दाहीने और का पूरा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था तथा समुचित इलाज से लकवे का अटैक आने के लगभग 6 माह बाद वह कुछ ठीक हुये थे बोलने चलने लगे थे किंतु वर्ष 2009 में उन्हें लकवे का दूसरा अटैक आने से शरीर के दाहिनी ओर का हिस्सा पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया था एवं व्हीलचेयर पर ही बैठे थे बोल नहीं सकते थे इशारों से बाते करते थे। दिनांक 31.03.09 को सेवानिवृत हुये थे। उनकी मृत्यु दिनांक 14.11.14 को ग्राम-केरिया में मीराबाई द्वारा क्रयशुदा भूमि पर निर्मित मकान में हुयी थी। राजस्व अधिकारी न्यायालय की श्रेणी में नहीं आते तथा उन्हें स्वत्व के बिन्दु को निर्धारित किये जाने का कोई भी वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। कथित वसीयत मूलतः फर्जी एवं वसीयतकर्ता की जानकारी के बगैर निष्पादित कराई है। वसीयतकर्ता द्वारा स्वेच्छया या मनमर्जी से वादीगण के पक्ष में कोई वसीयत नहीं की गयी है ऐसी स्थिति में कथित वसीयत से वादीगण को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। वादीगण के पक्ष में वाद या सुविधा का संतुलन नहीं है ना ही वादीगण को कोई अपूर्णीय क्षति कारित हो रही है। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि का कोई अंतरण अर्थात विक्रय किया जा रहा हो ऐसा ना तो अभिवचनित है ना ही ऐसा किया जा रहा है। राजस्व अभिलेखों में नामांतरण से किसी तरह का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। विधि अनुसार किसी भी नामांतरण के पूर्व कोई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये at a Capalica जाने का निवेदन किया।

- 06— आवेदन पत्र के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु पर विचार किया गया जाना आवश्यक होगा।
 - 1- क्या प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है ?
 - 2- क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
 - 3— क्या यदि वादीगण के पक्ष में अस्थाई निषधाज्ञा जारी नहीं की गई तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी ?

//सकारण निष्कर्ष//

- 07— उपरोक्त सभी विचारणीय बिन्दु एक दुसरे संबंधित होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 08— वादीगण ने आवेदन के समर्थन में विक्रय पत्र 13 फरवरी 2004 की फोटोकापी, वसीयतनामा 11.04.16 की फोटोकापी, न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.16 की फोटोकापी, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.17 की फोटोकापी, न्यायालय आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.18 की फोटोकापी पेश किये है और वादीगण की ओर से आवेदन के समर्थन में रविन्द्र और अशोक के शपथपत्र प्रस्तुत किये है।
- 09— प्रतिवादी की ओर से जवाब के समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 20.05.1987 की छायाप्रति, खसरा पांचसाला मय नक्शा 2011—12 से 2015—16 की छायाप्रति प्रस्तुत की है और प्रतिवादी सुनील का शपथपत्र प्रस्तुत किया है।
- 10— वादीगण का कहना है कि उनके पिता ने उनके नाम एक पंजीयत वसीयतनामा निष्पादित किया था जिसके आधार पर वसीयतशुदा संपत्ति के मालिक काबिज हो गये है और उसके आधार पर उन्होंने तहसील न्यायालय से नामांतरण करा लिया है। प्रतिवादी क0—1 से 4 अनैतिक तरीके से उक्त भूमि पर अपना नामांतरण कराने हेतु प्रयासरत् है। यदि राजस्व अभिलेखों मे नामांतरण अथवा रिकार्ड में हेर—फेर कराने में सफल रहे तो बहुवाद की स्थिति निर्मित हो जायेगी और वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।
- 11— प्रति०क० 3 ने वादी के आवेदन पत्र को स्वीकार करने में अप्रत्यक्ष रूप से कोई आपत्ति नहीं की है।
- 12— प्रति0क0 1, 2 एवं 4 ने वादीगण की ओर से तथाकथित वसीयतनामा को फर्जी होना बताते हुये प्रति0क0 3 को वादीगण के साथ दुरिभ संधि कर मिलना बताते हुये वादीगण का आवेदन निरस्त किये जाने

का निवेदन किया है।

- वादीगण ने अपने आवेदन में ही यह बताया है कि वादीगण के पिता द्वारा निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर उन्होंने तहसील न्यायालय में कार्यवाही की थी, जहां पर तहसील न्यायालय ने उनके पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही का आदेश दिया था, जिससे राजस्व अभिलेख में उनके नाम दर्ज हो गये हैं, वहीं वादीगण ने यह भी स्वीकार किया कि प्रतिवादीगण ने तहसीलदार के आदेश की अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष की थी जहां पर उनकी अपील स्वींकार कर ली गयी और उक्त अपील के पूर्व वादीगण ने कमिश्नर के यहां अपील की थी, जो खारिज कर दी गयी। एक तरफ तो वादी तहसील न्यायालय द्वारा की गयी कार्यवाही को अपने पक्ष में वैध होना बता रहा है और वहीं दूसरी तरफ अनुविभागीय अधिकारी एवं किमश्नर के आदेश पर की जा रहीं कार्यवाही पर हस्तक्षेप कर रहे है।
- 14— जब कमिश्नर ने वादीगण की अपील खारिज कर दी तब वसीयतनामा की स्थिति पूर्व की भांति हो जायेगी, जिससे किसी अधिकार, हक उत्पन्न नहीं होगा। क्रमिश्नर न्यायालय ने वादीगण की अपील निरस्त कर दी थी, जिससे वसीयतनामा की स्थिति संदेहास्पद हो गयी और संदेहास्पद दस्तावेज के आधार पर किसी को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता।
- 15— 🕡 वहीं प्रतिवादीगण का कहना है कि है कि मीरा जौजे फूलचंद ने विवादित भूमि रिजस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से क्रय की थीं, जिनका कोई फूलचंद के जीवनकाल में बंटवारा नहीं हुआ है और वर्तमान तक संयुक्त परिवार की संपत्ति है। वसीयतनामा फर्जी है या नहीं इसका निराकरण साक्ष्य उपरांत गुणदोषों के आधार पर किया जायेगा परंतु राजस्व न्यायालय के आर्देशानुसार ही वसीयतनामा से वादीगण को कोई हक, अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है तब वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं है।
- वादीगण ने प्रतिवादीगण द्वारा अनैतिक तरीके से अपना नाम दर्ज कराने हेतु प्रयासरत् होना और राजस्व अभिलेखों में नामांतरण करने की मात्र आशंका बताई है, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रकट हो कि प्रति0क0 1, 2 एवं 4 अनैतिक तरीके से अपना नाम जुडवाने का प्रयास कर रहे हैं। मात्र आशंका के आधार P.T.O.7

पर यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादीगण अनैतिक तरीके से अपना नाम जुडवाने हेतु प्रयासरत् है।

- प्रतिवादीगण द्वारा की गयी अपील कमिश्नर न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है तब उसके अनुपालन में यदि प्रति०क० 1,2 4 द्वारा यदि कोई कार्यवाही भी की जाती है तो उक्त कार्यवाही को इस न्यायालय द्वारा रोका नहीं जा सकता है।
- जब प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में नहीं है तब सुविधा का संतुलन और अपूर्णनीय क्षति भी उनके पक्ष में नहीं पायी जाती। फलस्वरूप आवेदक / प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता है।
- प्रस्तुत आवेदन पत्र के व्यय का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय किया जायेगा।

्रातम सिंहा मरकाम) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 बैतूल म०प्र०

